

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/610

दिनांक:- 6-9-19

कार्यालय आदेश

आवासीय योजना, सुनेल झालावाड़, 36 रिहायशी भूखण्डों को आवासीय अभियन्ता खण्ड-कोटा, उप आवासन आयुक्त-कोटा एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, जयपुर द्वारा नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु अनुशांषा के आधार पर नीलामी से निस्तारित किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। उपरोक्त 36 रिहायशी भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	आवासीय योजना सुनेल	अल्प आय वर्ग	1-डी-5, 1-डी-14, 1-डी-17, 1-डी-18, 1-डी-20, 1-डी-21, 1-डी-22, 1-डी-23, 1-डी-24 2-ई-7(ए), 2-ई-7(बी), 2-ई-7(सी) 2-एफ-1, 2-एफ-3, 2-एफ-6, 2-एफ-7, 2-एफ-9, 2-एफ-13, 2-एफ-26	19
		मध्यम आय वर्ग-अ	1-ई-4, 1-ई-5, 1-ई-7, 1-ई-9, 1-ई-12(ए), 1-ई-12(बी), 2-ई-3, 2-ई-6(ए), 2-ई-6(बी),	9
		मध्यम आय वर्ग-ब	1-ई-13, 1-ई-13(ए), 1-ई-15, 1-ई-16, 1-ई-21, 1-एफ-8	6
		उच्च आय वर्ग	2-बी-3, 2-बी-4	2
कुल				36

उपरोक्त अनावटित 36 रिहायशी भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है :-


1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंति करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन पैरा 22/एन पर प्राप्त है।

ह
मुख्य संपदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत्त कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा, रा0आ0म0 कोटा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक